ग्राम पंचायत बकराडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बकराडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति ऊषा देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति शीना वीवी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री धर्मपाल	1.4.2013 से 13.8.2013

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बकराडवां के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	खाता–ख के ब्याज को खाता–क में अन्तरित न किया जाना	0.18
2.	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	5.26
3.	12	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना क्रय करना	3.24

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत बकराडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.8.2016 से 16.8.2016 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 7/14, 7/15 व 11/13, 11/14, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत बकराडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 128, दिनांक 16.8.2016 द्वारा सचिव पंचायत वकराडवां से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत बकराडवां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :—

ग्राम पंचायत वकराडवां के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	14616	285440	300056	150355	149701
2014—15	149701	623050	772751	499659	273092
2015—16	273092	686671	959763	764106	195657

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत बकराडवां के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	18089	897061	915150	910341	4809
2014–15	4809	895616	900425	815044	85681
2015–16	85381	1808642	1894023	1368350	525673
		स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग			**₹721330**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में अन्तशेष का विवरण

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	खाता सं0/बैंक का नाम KCC Thakurdwara	राशि
1.	स्व स्त्रोत	20106004291	5691
2.	स्व स्त्रोत	20096007442	189529
3.	मनरेगा	20106004756	22
4.	आई0ए0वाई0 IAY	20106006753	13
5.	3rd स्टेट वित्त	20106006731	452
6.	टी0एस0सी0 TSC	20106006786	30996
7.	13वां वित्त	20106006742	493522
8.	ए0ए0वाई(AAY)	20106006764	668
		योग	**₹720893**

अन्तशेष का विवरण

(क)	दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹721330
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹720893
(ग)	हस्तगत राशि	₹437

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत

निधि खाता–(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए 8 बैंक खातों का रख–रखाव किया गया है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. खाता (ख) में अर्जित ब्याज की राशि को खाता (क) में अन्तरित न किया जाना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष माह जनवरी व जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में आन्तरिक किया जाना अपेक्षित था, किन्तु बैंक खातों की जांच करने पर पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता (ख) से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे, जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता (ख) के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता (क) में आन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	खाता सं0	2013–14	2014–15	2015–16	कुल (₹)
1.	20106006764	–	–	668	
2.	20106006753	95	552	–	
3.	20106006742	35	10204	1145	
4.	20106006786	–	355	3341	
5.	20106004756	1642	22	–	
6.	20106006731	–	–	332	
	योग	₹1772	₹11133	₹5486	₹18391

7. वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारे :–

हि0प्र0 प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर

प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्धेश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8. कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वस्त्रोत गृहकर भू–राजस्व कर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. पंचायत राजस्व ₹0.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹55507 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	37140	8500	45640	37140	8500
2014–15	8500	8875	17375	–	17375
2015–16	17375	9250	26625	–	26625

2. भू–राजस्व :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	22693	2063	24756	–	24756
2014–15	24756	2063	26819	–	26819
2015–16	26819	2063	28882	–	28882

3. शराब कर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	6650	6650	6650	–
2014–15	–	13132	13132	13132	–
2015–16	शराब कर की वसूली शेष है				

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

10. अनुदान ₹5.26 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹525673 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹9.40 लाख का अनियमित व्यय करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹940000 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.24 लाख के स्टॉक, स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹323950 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. विविध अनियमितताएं :—

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक सहभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. लघु आपत्ति विवरणिका :— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17. निष्कर्ष :— लेखों के रख—रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),20 / 2016 खण्ड—1—6085—6088 दिनांकः 16.11. 2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत बकराडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—17109 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "2"

ग्राम पंचायत बकराडवां विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा पैरा सं0 : 11 में सदर्भित

निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना अनियमित व्यय करना:–

क्र0 सं0	निधि का नाम	कार्य का नाम	राशि
1.	सामान्य निधि	निर्माण पंचायत घर वकराडवां	540000
2.	एस0डी0पी0(SDP)	मुख्य मार्ग से एस0सी0 मोहल्ला तक नालियां व गलियों का निर्माण	200000
3.	मनरेगा	प्यारे लाल की मोटर से वसन्तपुर कूहल तक पक्का नाले का निर्माण	200000
		कुल	**₹940000**

परिशिष्ट ''3''

ग्राम पंचायत बकराडवां विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा पैरा सं0 : 12 में सदर्भित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

क्र0 सं0	निधि	वा0सं0/ दिनांक	विवरण	राशि
1.	सामान्य	43, 28.1.15	मैसर्ज राकेश सीमेंट व हार्डवेयर स्टोर सरियाना से खरीदे गए सरिये का भुगतान	70450
2.	सामान्य	35, 14.9.15	मैसर्ज जय मां वैष्णों देवी रोड़ सर्विस उलैहडिया से खरीद किए गए रेत व बजरी आदि का भुगतान	74400
3.	सामान्य	36, 14.9.15	मैसर्ज भोले शंकर प्लाईवुड एवं टिम्बर मुकेरियां से खरीदे गए दरवाजे व खिड़कियों आदि का भुगतान	408000
4.	मनरेगा	36, 2.1.14	मैसर्ज उमा पति स्टोर व क्रशर उलैहड़ियां से खरीदे गए रेत व बजरी का भुगतान	408000
5.	मनरेगा	1, 4.9.14	–यथोपरि–	34300
6.	मनरेगा	2, 2.5.15	श्री मंगल नंद द्वारा सप्लाई किए गए पत्थर आदि की सप्लाई का भुगतान	56000
			कुल योग	**₹323950**